# वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
## (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
## भाग–4

**(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)**

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांशमिशन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा (छ.ग.) द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पुल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकबा 137.014 हे. के लिए आवेदन किया गया है। आवेदित वन भूमि का वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार हैः–

| वन मंडल | आरक्षित वन | संरक्षित वन | नारंगी वन | असीमांकित वन | राजस्व वन | कुल क्षेत्रफल (हे. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धरमजयगढ़ | 20.959 | 14.001 | — | 9.583 | 14.151 | **58.694** |
| रायगढ़ | — | 19.356 | — | — | 3.540 | **22.896** |
| कोरबा | — | 6.481 | 14.848 | — | 34.095 | **55.424** |
| **योग** | **20.959** | **39.838** | **14.848** | **9.583** | **51.786** | **137.014** |

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए वन संरक्षण अधिनियम – 1980 के अंतर्गत वन भूमि 137.014 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः २१ /11/2019
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in


क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–173/ २८७। रायपुर, दिनांक २२/11/2019

प्रति,

**प्रमुख सचिव**
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नया रायपुर

विषयः– **Diversion for Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act.1980 Proposed for construction of 765 kv D/c Dharamjaigarh- Raigarh (Tamnar) Pool Transmission line under three forest Division of Chhattisgarh State for "Additional System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool" area 137.014 ha- regarding.**
**पंजीयन कमांक– FP/CG/TRANS/35105/2018**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./1498 दिनांक 04.07.2019 एवं पत्र क्रमांक / तक / 2615 दिनांक 04.11.2019

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा अनुशंसा उपरांत गोवा तमनार ट्रांशमिशन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा (छ.ग.) के प्रकरण में 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन के लिये गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण नोडल कार्यालय द्वारा किया गया, परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

**बि.क. 1.–आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 01 से 27 में संलग्न )** आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांशमिशन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा (छ.ग.) द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पुल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकबा 137.014 हे. के लिए आवेदन किया गया है। आवेदित वन भूमि का वन मंडलवार विवरण निम्नानुसार हैः–

| वन मंडल | आरक्षित वन | संरक्षित वन | नारंगी वन | असीमांकित वन | राजस्व वन | कुल क्षेत्रफल (हे. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धरमजयगढ़ | 20.959 | 14.001 | – | 9.583 | 14.151 | **58.694** |
| रायगढ़ | – | 19.356 | – | – | 3.540 | **22.896** |
| कोरबा | – | 6.481 | 14.848 | – | 34.095 | **55.424** |
| **योग** | **20.959** | **39.838** | **14.848** | **9.583** | **51.786** | **137.014** |

**बि.क.2.– प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष / पंजीयन कमांक) (प्रस्ताव के पृष्ट क. 29 से 31 में संलग्न)** – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर द्वारा प्रकरण का आनलाईन पंजीयन कमांक– FP/CG/ TRANS/

35105/2018 आबंटित किया गया है। आवेदक द्वारा पंजीयन शुल्क रू. 6000/– एवं प्रोसेसिंग रू. 175000/– कुल राशि 181000/– जमा कराये गये है जिसे वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल के पी.डी. खाते में जमा किया गया है। विवरण **प्रपत्र– I** में दिया गया है।

**बि.क.3.–वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 32 से 53 में संलग्न)** – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन हेतु आरक्षित वन भूमि 20.959 हे. संरक्षित वन भूमि 39.838 हे. नारंगी वन भूमि 14.848 हे. असीमांकित वन भूमि 9.583 हे एवं राजस्व वन भूमि 51.786 हे. कुल रकबा 137.014 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है।

**बि.क.4.–गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव के पृष्ठ क 54 से 59 में संलग्न )** प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार कोरबा वन मण्डल अन्तर्गत 163.416 हे., रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत 107.740 हे. एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत 55.119 हे. कुल 326.275.हे. राजस्व भूमि/निजी भूमि भी शामिल है।

**बि.क.5.–प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 मापमान पर (प्रस्ताव के पृष्ठ क 60 से 65. में संलग्न)** – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफॅ इण्डिया का 1:50000 मापमान का मानचित्र क्रमांक 64N/04, 64N/08, 64J/15 एवं 64J/16 आते है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

**बि.क.6.–वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 66 से 69 में संलग्न)** – प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का इंडेक्स मैप प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 66 से 69 में संलग्न किया गया है तथा वन क्षेत्र का स्टॉक मैप 1:15000 स्केल पर एवं आवरण मैप 1:50000 स्केल का मैप पृष्ठ क्रमांक 1975 से 1985 में संलग्न है।

**बि.क.7.–प्रपत्र 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 70 से 93 में संलग्न )** – प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र –4 में परियोजना प्रस्ताव को धारा–2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने संबंधी पत्रक संलग्न है जिसके अनुसार परियोजना की कुल लागत रू. 253.83 करोड़ है। यह विद्युत पारेषण प्रणाली रायगढ़ में जिंदल पावर लिमिटेड के 2400 मेगावाट तथा टी.आर. एन एनर्जी के 600 मेगावाट जनरेटिंग प्रोजेक्ट के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विद्युत से 3000 मेगावाट को निकालकर और उसे 765 के.व्ही डबल सर्किट लाईन के द्वारा पी.जी.सी.आई.एल के रायगढ़ कोतरा स्थित जनरेटिंग काम्पलेक्स तक पहुॅचाने के लिये तैयार की गई है। प्रस्ताव के पृष्ठ 89 ए से 93 में वृक्ष प्रजातियों के स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम दिये गये है।

**बि.क. 8.–प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव के पृष्ठ 94 से 103 में संलग्न )** – प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन परियोजना की विस्तृत टीप दी गयी है।

**बि.क. 9.–वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क.104 से 105 में संलग्न )** – अंतिम रूप से वन भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होने वाली वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क.10.–न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 106 से 115 में संलग्न)** – इस आशय के वन मंडलवार तीन प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ एवं वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ तथा आवेदक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है।

**बि.क.11—पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क 116 से 132 में संलग्न)** — आवेदक संस्थान एवं वन मंडलाधिकारी त्रय द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है कि विद्युत पारेषण लाईन निर्माण होने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पुष्टि हेतु भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 की प्रति संलग्न की गयी है।

**बि.क.12—वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र—अ एवं ब में)(प्रस्ताव के पृष्ठ क.133 से 981 में संलग्न)** — प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत आवेदित वन क्षेत्र में 12908 वृक्ष, 03 बांस भिर्रा एवं 284 पोलार्ड का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनका प्रजातिवार एवं गोलाईवार विवरण फार्म 1(a) एवं 1(b) में दिया गया है। ट्रांशमिशन लाईन के नीचे प्रभावित वृक्षों एवं विदोहन हेतु प्रस्तावित वृक्षों का वनमंडलवार विवरण निम्नानुसार है :—

| वन मंडल | 67 मी. कॉरीडोर में | | | | 10 x 2 मी. कंडक्टर बंडल के नीचे | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रकबा | वृक्षों की संख्या | बांसभिर्रा की संख्या | पोलार्ड/ ठूंठ की संख्या | रकबा | वृक्षों की संख्या | बांसभिर्रा की संख्या | पोलार्ड/ ठूंठ की संख्या |
| कोरबा | 55.424 | 8281 | 19 | 229 | 16.544 | 2531 | 2 | 75 |
| रायगढ़ | 22.896 | 12528 | 1 | 316 | 6.835 | 3831 | 1 | 134 |
| धरमजयगढ़ | 58.694 | 20403 | 0 | 258 | 17.531 | 6546 | 0 | 75 |
| **योग** | **137.014** | **41212** | **20** | **803** | **40.900** | **12908*** | **3*** | **284*** |

*विदोहन हेतु प्रस्तावित है।

**बि.क.13—कास्ट /बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव के पृष्ठ क 982 से 984 में संलग्न)**— प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र का कास्ट /बेनिफिट एनालिसिस तैयार कर संलग्न किया गया है जो नोडल वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

**बि.क.14 —चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल मानचित्र,सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव के पृष्ठ क 985 में संलग्न)** — आवेदक संस्थान द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि 137.014 हे. के विरूद्व वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु जांजगीर चाम्पा वन मण्डल के बलौदा वन परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बिलारी के खसरा नं. 44/1 में 20 हे. एवं भिलौनी के खसरा नं. 941/1 में 10 हे. कुल 30.00 हे गैर वन (राजस्व भूमि) में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। खसरा नक्शा, फार्म बी—1 व पी—2 प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 1005 से 1006 एवं 1033 से 1035 में संलग्न है। शेष 107.014 हे. के विरूद्व 215.00 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण आरक्षित वन / संरक्षित वन / नारंगी वन में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल 245 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। संपूर्ण वृक्षारोपण साईट का एक पृष्ठीय गोश्वारा प्रस्ताव पृष्ठ 995 पर है।

**बि.क.15 —गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 986 से 988 में संलग्न)** — प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा संलग्न किया है।

**बि.क.16 —स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव के पृष्ठ क.989 से 1304 में संलग्न)** — प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत आवेदित वन क्षेत्र रकबा 137.014

हे. के बदले 30 हे. गैर वन भूमि (समतुल्य) एवं शेष का दुगुना 215 हे. वन क्षेत्र (संरक्षित वन भूमि में 85 हे., आरक्षित वन भूमि में 100 हे. एवं नारंगी वन क्षेत्र में 30 हे.) इस प्रकार कुल 245.00 हे. क्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना जांजगीर चाम्पा वनमण्डल के बलौदा परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित कर 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना वर्ष 2019–20 की अद्यतन रू. 7,26,270 प्रति हे. की दर से तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है। वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का मानचित्र व डीजीपीएस रिपोर्ट मय सी.डी प्रस्ताव के पृष्ठ 1724 से 1779 में संलग्न है। संपूर्ण वृक्षारोपण साईट का एक पृष्ठीय गोश्वारा प्रस्ताव पृष्ठ 995 पर है।

**बि.क.17 –वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1305 से 1316 में संलग्न)** – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी जांजगीर –चाम्पा वनमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित है। वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चाम्पा द्वारा जारी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

**बि.क18–अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव के पृष्ठ क 1317 से 1319 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना में अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क.19 –अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1320 से 1322 में संलग्न)** – लागू नहीं।

**बि.क.20–अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1323 से 1325 में संलग्न)** – लागू नहीं।

**बि.क.21 –वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1326 से 1330 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डल कोरबा, वनमण्डल रायगढ़ एवं वन मण्डल धरमजयगढ़ अन्तर्गत आवेदित वन क्षेत्र हेतु आवेदक संस्थान द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने संबंधी प्रपत्र संलग्न किया गया है।

**बि.क.22 – कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1331 से 1333 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान के संबध में वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र हसदेव नदी के लिए जलग्रहण क्षेत्र बनाता है जो बारहमासी (Perennial) है जिसका मिली वाटरशेड कोड 4G2D1C4, 4G2D1D4, 4G2C6B2, 4G2C8B4, 4G2C9D4, 4G2C6B3 है । उक्त दर्शित मिलीवाटर शेड में उपचार की आवश्यकता है। उपचार हेतु ब्रशवुड चेकडेम,अर्दन चेकडेम, बोल्डर चेकडेम, गेब्रियन स्ट्रक्चर, परकुलश टेंक एवं स्टाप डेम निर्माण कार्य की आवश्यकता है। आवेदक विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कर कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर कियान्वयन हेतु आवश्यक राशि आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा तथा वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ व रायगढ़ द्वारा इस परियोजना में कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है, संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क.23 –रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव के पृष्ठ क 1334 से 1336 में संलग्न)** – प्रस्ताव में रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

**बि.क.24 –माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में )(प्रस्ताव के पृष्ठ क.1337 से 1339 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना ट्रांशमिशन लाईन निर्माण का होने के कारण माईनिग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

**बि.क.25–व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1340 से 1342 में संलग्न)** – प्रस्ताव अनुसार व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

**बि.क.26–वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I सं IV तक) (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1342 से 1364 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना में वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ एवं वन मण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रतिवेदन अनुसार वन मंडलाधिकारी रायगढ़ ने अपने सहमति व्यक्त किया है। वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा वन्य प्राणी की स्थिति अनुश्रवण हेतु phantom-IV ड्रोन कैमरा का मांग किया है। वन मण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा भौतिक निरीक्षण के आधार पर आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं की गई है।

मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के 10 कि.मी की परिधि में वन्य प्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development, पेज जल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्य प्राणी योजना एवं वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रस्तावित करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। प्रभावित वन क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है यह भी उल्लेख किया गया है।

**बि.क.27 –ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1365 से 1367 में संलग्न)** – प्रस्तावित वन क्षेत्र पर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र वन मंडलवार संलग्न है।

**बि.क.28 –संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1368 से 1376 में संलग्न)** – वन मंडलाधिकारियों द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना लीनियर परियोजना होने के कारण ग्राम सभा प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है परंतु चेक लिस्ट क्र. 34 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनापत्ति दी गई है।

**बि.क.29–जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.) (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1377 से 1379 में संलग्न)** – प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रायगढ़ जिला एवं कोरबा जिले की वन भूमि का विवरण संलग्न है।

**बि.क.30 –वन संरक्षण अधिनिमय 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा हे. में. (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1380 से 1385 में संलग्न)** – वन संरक्षण अधिनिमय 1980 अन्तर्गत जिले में स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि की जानकारी संलग्न है।

**बि.क.31 –वन संरक्षण अधिनिमय 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा हे. में. (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1386 से 1388 में संलग्न)** – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत रायगढ़ , धरमजयगढ़ व कोरबा वन मंडलो के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा क्रमशः 248.788 हे., 528.624 हे. व 382.755 हे. है।

**बि.क.32 –प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 1389 से 1391 में संलग्न)** – प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमें वन मंडलाधिकारी कोरबा द्वारा कोरबा वन मंडल अंतर्गत आवेदित वन क्षेत्र को हाथी रिजर्व घोषित करने का अधिसूचना प्रस्ताव वरिष्ठ को भेजा गया है लेख किया है। आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी बफर का मानचित्र संलग्न किया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 1964 से 1974 में संलग्न है।

वन मंडलाधिकारी रायगढ़ तथा धरमजयगढ़ द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित न होने तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने का प्रमाण पत्र दिया गया है।

**बि.क.33–15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1392 से 1394 में संलग्न)** – प्रस्तावित प्रकरण खनन प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्कता नहीं है ।

**बि.क.34 –वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1395 से 1496 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना में कलेक्टर कोरबा एवं कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार वितरण के संबंध में प्रदर्श स एवं फार्म 1 में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

**बि.क.35–राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1497 से 1550 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव में प्रभावित राजस्व वन भूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर कोरबा एवं कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी किया गया है। मूल प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क.36 –माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1551 से 1559 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना में आवेदक संस्थान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क.37 –Cleanance under FC Act, 1980 Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1560 से1563 में संलग्न)** – संलग्न है।

**बि.क.38–A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1564 से 1566 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना के संबंध में वन मंडलाधिकारी कोरबा, रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ द्वारा A detailed note on Soil Productivity or the lack of it की जानकारी प्रस्तुत की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है। तीनो वन मंडलाधिकारियों द्वारा वनस्पति विकास दर अति अल्प बतायी गई है।

**बि.क.39–परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1667 से 1569 में संलग्न)** –प्रस्तावित परियोजना में वन मंडलाधिकारी कोरबा, रायगढ़ एवं धरमजयगढ वन मंडल द्वारा परियोजना में किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

**बि.क.40 –Diversion of large area (more then 500 ha. ) of forest land for mining and Other non-forestry purposes under the forest(Conservation ) Act 1980 (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1570 से 1572 में संलग्न)** – विद्युत पारेषण लाईन हेतु प्रस्तावित परियोजना में कुल वन भूमि रकबा 137.014 हे. प्रभावित हो रही है। आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः आवश्यकता नहीं है।

**बि.क.41–पंजीयन कमाकं– पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव के पृष्ठ क 1573 से 1577 में संलग्न)** – प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर द्वारा पंजीयन कमांक– FP/CG/TRANS/35105/2018 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क रू. 6000/– एवं प्रोसेसिंग रू. 1,75,000/– कुल राशि 1,81,000/– जमा कराये गये है जिसे वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल के पी.डी. खाते में जमा किया गया है।

**बि.क.42 –वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में) (प्रस्ताव के पृष्ठ क.1578 .से 1580 में संलग्न)** – वन मंडलाधिकारी कोरबा ने लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में एलीफेन्ट रिजर्व घोषित करने हेतु वर्तमान में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसके अलावा प्रपत्र–3 में मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर ने लेख किया है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के 10 कि.मी की परिधि में वन्य प्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development, पेज जल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्य प्राणी योजना एवं वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रस्तावित करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

**बि.क.43 –विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प का न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव के पृष्ठ क 1581 से 1596 एवं 1600 से 1603 में संलग्न)** – विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु प्रस्तावित तीन विकल्पों में से न्यूनतम प्रभावित वन क्षेत्र का चयन किया गया है। तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में मानचित्र सहित संलग्न है।

**बि.क.44 – प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव के पृष्ठ क. 1597 से 1599 एवं 1604 से 1987 में संलग्न)** – प्रस्तावित परियोजना में आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा (छ.ग.) द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ वनमण्डल एवं कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अन्तर्गत 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़–रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु रकबा 137.014 हे. के लिए निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में संस्थान द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में विभिन्न नक्शे प्रस्तुत किया है जो फाईल नं. 5 व 6 में संलग्न किया गया है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा विषयांकित पारेषण लाईन की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर उनके द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण योजना, एवीफौना योजना, लघुवनोपज क्षतिपूर्ति योजना को शर्त को शामिल करते हुए

प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

**संलग्नः**–1. प्रस्ताव 03 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

**(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)**

**(मुख्य वन संरक्षक)**
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़